

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

क्र.स.	अपील संख्या	प्रत्यर्थी विभाग का नाम	प्रस्तुत करने की तिथि	अपीलार्थी की ओर से	आलोच्य आदेश दिनांक
1.	82/2024 शारदा	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, सचिवालय, जयपुर (राज.) 2. सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर। 4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक, हनुमानगढ़।	20.01.2025	श्री मंजीत सिंह गोदारा, अभिभाषक	21.12.2024
2.	83/2025 रामनिवास	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, सचिवालय, जयपुर (राज.) 2. सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर। 4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, हनुमानगढ़। 6. प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, नीनन, ब्लॉक बांदरा, जिला हनुमानगढ़। 7. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(उपखंड मजिस्ट्रेट) भादरा, जिला हनुमानगढ़।			

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 21.01.2025

उपस्थिति :-

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :- लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

- मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
- उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 82/2025 शारदा बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।
- प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को ओदश दिनांक 07.12.2024 के आदेश के अनुसार अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय 16डीपीएन, रामगढ़ से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अजीतपुरा में स्थानांतरित कर दिया गया है। अपीलार्थी का नाम क्रमांक 11 पर दर्शाया गया है। अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से अधिशेष घोषित किया गया है। राजस्थान राज्य में सरकारी कर्मचारी के स्थानांतरण पर प्रतिबंध है तथा प्रतिबंध अवधि के दौरान अपीलार्थी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया है, जो कानून के प्रावधानों

के विपरीत है तथा आरोपित स्थानान्तरण आदेश रद्द किये जाने योग्य है। वरिष्ठता के अनुसार अधिशेष कर्मचारियों की सूची तैयार किए बिना, अपीलार्थी को अधिशेष घोषित कर दिया गया है और दूरस्थ स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया है। इस संबंध में यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी अपने विद्यालय में सबसे कनिष्ठ नहीं है, लेकिन उसे दिनांक 14.11.2024 के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध स्थानान्तरित किया गया है। दिनांक 14.11.2024 को अधिशेष शिक्षकों के संबंध में एक दिशा-निर्देश प्रकाशित किया गया था, जिसके अनुसार गैर-स्वीकृत पद के विरुद्ध माध्यमिक एवं प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अधिशेष माना जाएगा और उन्हें अन्य विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाएगा, लेकिन अधिशेष शिक्षकों को समायोजित करते समय, संबंधित जिले में वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी और ऐसे अधिशेष शिक्षक को पद रिक्त होने पर उसी विद्यालय में या पद रिक्त होने पर उसी राजस्व गांव में या पद रिक्त होने पर उसी प्रखंड में या रिक्त पद के विरुद्ध निकटवर्ती प्रखंड में स्थानान्तरित किया जाएगा। अपीलार्थी की सेवाएं स्थानान्तरित करने से पूर्व ऐसी कोई कवायद नहीं की गई है और अपीलार्थी को उसी प्रखंड में समायोजित करने के बजाय, उसे अन्य प्रखंड में स्थानान्तरित कर दिया गया है, जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति को उसी प्रखंड में पदस्थापित किया गया है, जो दिशा-निर्देश के विपरीत है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में दिनांक 07.12.2024 के आक्षेपित आदेश को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी वर्तमान कार्यरत स्थान पर निरंतर कार्यरत रखा जावे।

4. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा-निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में

गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे।

6. अतः उक्त अपीले, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।
7. मूल आदेश अपील संख्या 82/2025 शारदा बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य